भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3333
दिनांक 20 मार्च, 2025

पीएमयूवाई के तहत बीपीएल महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन

†3333. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों, विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को क्रियान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में सभी पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): देश भर में मध्य प्रदेश राज्य सहित गरीब परिवार की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं के नाम पर जारी किया जाता है, बशर्ते परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो और अन्य नियम व शर्तें पूरी करते हों। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) सूची से संबंधित परिवारों या सात अन्य श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) परिवार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वन में निवास करने वाले, द्वीप/नदी द्वीपों के निवासी, चाय बागान/पूर्व चाय बागान श्रमिक या 14 सूत्रीय घोषणा प्रस्तुत करके उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल न होने वाले गरीब परिवार पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए पात्र हैं। उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रवासी परिवारों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जो पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पते के प्रमाण और राशन कार्ड के स्थान पर स्व-घोषणा का उपयोग कर सकते हैं।

दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई योजना के तहत कटनी, पन्ना और खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (जो कटनी, पन्ना तथा छतरपुर जिले को कवर करता है) के खजुराहो कस्बे में एलपीजी कनेक्शनों के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में एलपीजी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पीएमयूवाई संबंधी जागरूकता में सुधार करने के लिए अभियानों का आयोजन करना, कनेक्शन वितरण और नामांकन हेतु मेला/शिविरों का आयोजन करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अन्तर्गत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के निमित्त उपभोक्ताओं और उनके परिवारों के लिए आधार नामांकन करने तथा बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, निकटतम एलपीजी वितरक, जन सेवा केन्द्र (सीएससी) आदि से www.pmuy.gov.in पर पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलिंडर का स्वैप विकल्प, प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण और राशन कार्ड के बजाय स्व-घोषणा के आधार पर नया कनेक्शन प्राप्त करने का प्रावधान आदि जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, ओएमसीज, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स कमीशन कर रही हैं। ओएमसीज ने देश भर में पीएमयूवाई योजना की शुरुआत से 7959 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स (दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2024 के दौरान कमीशन की गई) कमीशन की हैं जिसमें से 7373 (अर्थात 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरुप, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62% से बढ़कर अब संतृप्ति के निकट है।

पीएमयूवाई की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक, सरकार 1600 रुपए प्रति पीएमयूवाई कनेक्श्न के लिए सिलिंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और इंस्टालेशन प्रभार के संबंध में खर्च वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से, 14.2 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपए प्रति कनेक्शन और 5 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1300 रुपए प्रति कनेक्शन के लिए इस खर्च को बढ़ा दिया है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक) 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरु की। अक्तूबर, 2023 में, सरकार ने अधिकतम प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक) 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता बढ़ा दी है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए/सिलिंडर की निर्धारित

राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपये प्रति सिलिंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध प्रदान करा रही है। यह देशभर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययन तथा रिपोर्ट प्रदर्शित करती हैं कि पीएमयूवाई योजना ने ग्रामीण गृहस्थों, विशेषकर ग्रामीण परिवारों और सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन को महत्वपूर्ण रूप में सकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। कुछ प्रमुख लाभ संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार हैं:

(i) पीएमयूवाई के कारण पारंपरिक खाना बनाने के तरीकों में बदलाव आया है, जिसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेषों जैसे ठोस ईंधनों को जलाना शामिल है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है, खासकर महिलाओं और बच्चों में, जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएं के संपर्क में अधिक आते हैं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, खास तौर पर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले परिवार, अक्सर अपना काफी समय और ऊर्जा पारंपरिक खाना बनाने के ईंधन को इकट्ठा करने में खर्च करते हैं। एलपीजी ने गरीब परिवारों की महिलाओं की मेहनत और खाना बनाने में लगने वाले समय को कम किया है। इस प्रकार, उनके पास उपलब्ध खाली समय का उपयोग आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में किया जा सकता है।

(iii) बायोमास और पारंपरिक ईंधन से एलपीजी में बदलाव होने से खाना बनाने के लिए लकड़ी और अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण में कमी आती है। इससे न केवल घरों को लाभ होता है बल्कि व्यापक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में भी योगदान मिलता है।

(iv) बेहतर खाना बनाने की सुविधाओं के साथ, पोषण पर संभावित सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन बनाना आसान लगता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर बनाने में योगदान होता है।

इसके अलावा, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और किफायत में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3.95 और वित्त वर्ष 2024-25 में 4.43 (दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार) हो गई है।

अनुलग्नक

“पीएमयूवाई के तहत बीपीएल महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन” के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3333 भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जिला	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या (लाख में)	कुल घरेलु एलपीजी कनेक्शनों की संख्या (लाख में) (पीएमयूवाई सहित)
कटनी	2.00	3.45
पन्ना	1.60	2.17
छतरपुर	2.91	4.23

स्रोत: औद्योगिक आधार पर आईओसीएल

****